क्रमांक प.6(19)एमई/ग्रुप.1/08 जयपुर, दिनांक

1. रजिस्ट्रार,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय,
कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर,
जयपुर।

2. संयोजक, पीजी प्रवेश मण्डल,
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
बीकानेर

विषयः— राजस्थान प्री पी जी मेडिकल/डेन्टल 2010 की द्वितीय चरण की काउन्सलिंग आयोजित किये जाने बाबत्।

संदर्भः— संयोजक पी जी प्रवेश मण्डल के पत्रांक 1233 दिनांक 18.05.2010, 1337 एवं 1356 दिनांक 19.05.2010 ।

महोदय,

उपयुक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि याचिका (सिविल) 189/2010 नवल आसीजा व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.03.2007 एवं दिनांक 13.05.2010 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2010 में दी गयी समय सारणी के अनुसार राजस्थान प्री पी जी की द्वितीय चरण की काउन्सलिंग, ऑल इण्डिया की द्वितीय चरण की विस्तारित काउन्सलिंग के बाद राज्य को समर्पित होने वाली सीटों की दिनांक 20.06.2010 के पश्चात् की जानी है।

अतः राजस्थान राज्य की प्री पी जी की द्वितीय चरण की काउन्सलिंग की तिथि अखिल भारतीय, कोटा में चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की तिथि के पश्चात्, की निर्धारित की जावें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2010 के अनुसार पी जी कोर्सेस में उपस्थिति की अंतिम तिथि 30.06.2010 नियत की गयी है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना सभी राजकीय/निजी मेडिकल/डेन्टल कॉलेजों के द्वारा सुनिश्चित करवाते हुए दिनांक 20.06.2010 के पश्चात् रिक्त रही सीटों एवं अखिल भारतीय, कोटा की समर्पित हुई सीटों की वास्तविक सूचना संयोजक, प्री पी जी प्रवेश मण्डल एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने हेतु सभी प्रधानाचार्य, राजकीय/निजी मेडिकल/दन्त कॉलेजों को निर्देशित करते हुए इस विभाग को सूचित कराने का श्रम करें।

संलग्नः— आदेश दिनांक 13.05.2010 एवं पत्र।

भवदीय,

(छाया भटनागर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रोफेसर मंगला कोहली, सहायक महानिदेशक (एमई) महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली (टैली फैक्स-011-23061907)
2. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कालेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा को पालनार्थ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय, सुभाष नगर, जयपुर को पालनार्थ।
4. अध्यक्ष/सचिव फैडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल & डेन्टल कॉलेजेस, ऑफ राजस्थान, उदयपुर को पालनार्थ।
5. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी मेडिकल & डेन्टल कॉलेज, जयपुर को पालनार्थ।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान — सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःई 26/राजपत्रित/प्री—पीजी—2010/10/ 281 दिनांक :— 28-5-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन।
2. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. कम्प्यूटर सरवर रूम, मुख्यालय।
6. गार्ड पत्रावली/निजी पत्रावली।

अति0निदेशक(राजपत्रित)